

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना/मैहर (म.प्र.)

क्रमांक/3647/स्था03 ब/प्रा.शि.विशेष/2026

सतना, दिनांक :- 31/8/2026

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय-समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) के पद पर उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है।

SN	APPLICATION NUMBER	CONSOLIDATED RANK	NAME & F/H NAME	ADDRESS	ORIGINAL CATEGORY	SELECTED CATEGORY	ALLOTTED SCHOOL
1	3410250666321	6994	CHETAN KUMAR PATEL F/H Name- PRABHU NARAYAN SINGH	36 VILLAGE AILEE POST TIWARI PUR VARANASI VARANASI	UR	UR/X/OP	DISE-23130216009 SCHOOL/CLUSTER - Maihar, GHSS NADAN(1 to 12)
2	3408250694410	7101	SINTU YADAV F/H Name- KOMAL YADAV	0 AUDHARI SIKHARI JAKHANIYAN GHAZIPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23130215104 SCHOOL/CLUSTER - Maihar, GHSS AMATARA(1 to 12)
3	3410250639512	7323	AKANKSHA MISHRA F/H Name- KAMLESH KUMAR MISHRA	136/13Q/5C CHHOTA BAGHARA PRAYAGRAJ SADAR ALLAHABAD	UR	UR/X/F	DISE-23130208577 SCHOOL/CLUSTER - Maihar - Principal GGHS Maihar
4	3408250666624	9404	PANNA LAL F/H Name- RAM BACHAN	54 VILL KALVARI EHAMALI POST KALVARI BASTI BASTI	UR	UR/X/OP	DISE-23130202515 SCHOOL/CLUSTER - Maihar, GHSS GHUNWARA(9 to 12)
5	3410250747802	13043	ANURUDDHA PAL F/H Name- HARI LAL PAL	NA NAGARUVA POST DHATA KHAGA FATEHPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23130219207 SCHOOL/CLUSTER - Maihar, GHSS MAGRAURA(6 to 12)
6	3408250748202	13967	ABHISHEK KUMAR SINGH F/H Name- HARISHCHANDR A SINGH	40 NIHULA MEHNAJ PUR LALGANJ AZAMGARH	UR	UR/X/OP	DISE-23130211610 SCHOOL/CLUSTER - Maihar, GHSS LATAGAO(9 to 12)
7	3410250716510	15289	PRABHAKAR F/H Name- PARAMA NAND	36 MEURI KALA RATANPURA MAUNATH BHANJAN MAU	UR	UR/X/OP	DISE-23130100246 SCHOOL/CLUSTER - Amarpatan, GHSS AMARPATAN(1 to 12)
8	3408250684712	15536	MANENDRA KUMAR SHUKLA F/H Name- SANTOSH SHUKLA	53 PIPRANV URF KATHAULI KANCHANVA DEVRA KARCHHANA ALLAHABAD	UR	UR/X/OP	DISE-23130113403 SCHOOL/CLUSTER - Amarpatan, GHSS KARHI(1 to 12)
9	3404250726494	25285	NEERAJ DUBEY F/H Name- LAVKUSH DUBEY	Q NO M/211 WARD NO 13.5 NO COLONY NOWROZABAD UMR	EWS	GF/EWS/X/OP	DISE-23130216408 SCHOOL/CLUSTER - Maihar, GHSS AJWAIN(6 to 12)
10	3408250665378	29315	UPENDRA KUMAR PRAJAPATI F/H Name- BHAIYA LAL PRAJAPATI	BELA GHATI MARG NEAR TALAB VILLAGE JHINNA MARYADPUR RAMNAGAR SAT	SC	SC/X/OP	DISE-23130502912 SCHOOL/CLUSTER - Ram Nagar, GHSS SAGAUNI(1 to 12)
11	3410250709289	38038	SONAM THAKUR F/H Name- GAJRAJ	14 VILL MOHANGANJ POST BIJAWAR BIJAWAR CHT	OBC	OBC/X/F	DISE-23130202006 SCHOOL/CLUSTER - Maihar, GHSS SABHAGANJ(6 to 12)
12	3410250718790	39814	SANDEEP KUMAR VISHWKARMA F/H Name- RAM BHAGAT VISHWKARMA	00 GARM KHAPATAHA POST BIRWAHI TEH DEVENDRA NAGAR DEVENDRA NAGAR PAN	OBC	OBC/X/OP	DISE-23130507832 SCHOOL/CLUSTER - Ram Nagar, GHSS RAMNAGAR(6 to 12)

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छटवां वेतनमान 5200-20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर

देय है, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीवीक्षा पर की जाती है। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परीवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। परीवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 7 सितम्बर 2026 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूलप्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से किया जायेगा। दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

- XVI. नियुक्ति आदेश
- XVII. पासपोर्ट साइज फोटो, आधारकार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- XVIII. जाति प्रमाणपत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)
- XIX. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र
- XX. मूल निवासी प्रमाणपत्र
- XXI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाणपत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
- XXII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)
- XXIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- XXIV. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता(स्पेशल डीएलएड) संबंधी दस्तावेज।
- XXV. आरसीआई द्वारा जारी वैध पंजीयन प्रमाणपत्र एवं CRR नंबर
- XXVI. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।
- XXVII. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का C प्रमाणपत्र
- XXVIII. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
- XXIX. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट- 1)
- XXX. संलग्न शपथपत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट- 2)



6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजों के इस कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को जिला पारस्परिक परिवर्तन के लिए दिए गए विकल्प के कारण पूर्व में जारी जिला आवंटन आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एकमाह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नतिआदिविषय मध्यप्रदेशसिविलसेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा की पदस्थापना संकुल शाला में रहेगी, परन्तु संकुल अंतर्गत जिस शाला में दिव्यांग छात्रों की संख्या अधिक (अस्थि बाधित को छोड़कर) होगी, उस शाला में अध्यापन कार्य कराना होगा तथा आवश्यकतानुसार अन्य विद्यालय जहाँ दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उन विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण/ सहयोग करना होगा।

10/ आरसीआई द्वारा जारी सीआरआर नम्बर संपूर्ण सेवा के दौरान क्रियाशील रहना अनिवार्य है। आरसीआई प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने पर इसे छ माह के भीतर नवीनीकरण कराना होगा। निर्धारित समयावधि में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं करवाने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।

विशेष टीप:- यदिचरित्र /जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता /शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला सतना/मैहर म.प्र.

पृ. क्रमांक/3648/स्था03 ब/प्रा.शि.विशेष/2026
प्रतिलिपि:-

सतना, दिनांक :- 31/8/2026

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश।
6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र।
7. संभागायुक्त रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश।
8. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश।

9. कलेक्टर जिला मैहर मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी, म.प्र. ।
11. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारीजिला सतना म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 7 सितम्बर 2026 तक अपनी उपस्थिति देवें।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला सतना/मैहर म.प्र.